भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 622

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानक और समन्वय बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसी

622. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानकों को बनाए रखने तथा राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़कों के निर्माण में शामिल विभिन्न एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(जयराम गडकरी श्री नितिन)

(क) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" रिपोर्ट प्रकाशित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2018 से 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है: -

वर्ष	**सड़क दुर्घटनाओं की संख्या**
2018	**1,44,221**
2019	**1,41,057**
2020*	**1,19,615**
2021*	**1,28,825**
2022	**1,51,997**

* - कोविड प्रभावित वर्ष

(ख) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी), सड़क सुरक्षा सहित राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के सभी पहलुओं के लिए मानक, दिशानिर्देश, मैनुअल आदि तैयार करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग

मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मुद्दों पर नीतिगत परिपत्र भी जारी करता है। आईआरसी के ऐसे मानक, दिशानिर्देश, मैनुअल और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नीतिगत परिपत्र सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू और बाध्यकारी हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए डिजाइन और ड्रॉइंग का पुनरीक्षण सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। ठेकेदार/रियायतग्राही, यातायात और निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण अवधि के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करता है। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सुरक्षा ऑडिट किया जाता है। अनुबंधों में, संविदाकार/रियायतग्राही या प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता द्वारा की गई त्रुटि को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

******